1.

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यारित

प्राथपत्र संख्या–04/2024
प्राथपत्र प्रविष्टि दिनांक–28.03.2024
निर्णय दिनांक–04.09.2024

मदन पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

**बनाम**

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री रामअवतार चौधरी
श्री बुद्धीप्रकाश बैरवा एड0
अप्रार्थी–तहसीलदार पीपलू

## प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत्

## अन्तर्गत धारा 251–ए राज.टि.एक्ट. 1955

## निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वर्तमान में प्रार्थी वर्षो से आम रास्ते ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. किस्म बंजड द्वितीय वाके ग्राम कठमाना से होकर सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते में से आता जाता है। ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. किस्म बंजड द्वितीय राजकीय भूमि में से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते से प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर आता जाता है तथा इसी रास्ते में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाता ले जाता है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. में आने जाने के लिए राजकीय भूमि में से बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। इस कारण प्रार्थी को ख0न0 3532/3530 राजकीय भूमि में से होकर 30 फिट का रास्ता जिससे प्रार्थी आता जाता है, जो मौके पर चालू है, का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय भूमि ख0न0 3521/1206 गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0न0 3532/3530 में से होकर 30 फिट का रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थी डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि राज्य सरकार को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलवाकर नक्शा शीट में तरमीम करवायी जानी आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षी तहसीलदार पीपलू ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 30 फिट व लम्बाई 66 फीट है, जो ख0न0 3532/3530 मे से प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 0.0183 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दार 947620 रूपये प्रति हैक्ट. है। दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 34684 रूपये है। डी.एल.सी. दर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। ख0न0 3532/3530 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम कठमाना के सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख0न0 3532/3530 मे से प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर, नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड, दीवार आदि नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना में स्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें वर्तमान में प्रार्थी वर्षो से आम रास्ते ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. किस्म बंजड द्वितीय वाके ग्राम कठमाना से होकर सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते में से आता जाता है। ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. किस्म बंजड द्वितीय राजकीय भूमि में से होकर वर्षा से रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाता ले जाता है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. में आने जाने के लिए राजकीय भूमि में से बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। इस कारण प्रार्थी को राजकीय भूमि ख0न0 3521/1206 गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0न0 3532/3530 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 हैक्ट. तक 30 फिट चौडई का रास्ता दिलवाया जाकर, अंकन नक्शा शीट में करवाया जावे।

प्रतिपक्षी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 30 फिट व लम्बाई 66 फीट है, जो ख0न0 3532/3530 मे से प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल 0.0183 हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दार 947620 रूपये प्रति हैक्ट. है। दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 34684 रूपये है। डी.एल.सी. दर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। ख0न0 3532/3530 मुताबिक राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम कठमाना के सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख0न0 3532/3530 मे से प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर, नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड, दीवार आदि नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रार्थी रास्ते के बदले दोगुनी प्रतिकर राशि का भुगतान करे एवं रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए दे दिया जावे तो प्रतिपक्षी को कोई उज्र आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक हैं कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता हो तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदक अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 हैक्ट. में आम रास्ते ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. किस्म बंजड द्वितीय वाके ग्राम कठमाना पटवार हल्का कठमाना के अलावा अन्य कोई वैल्किपक रास्ता नहीं है। प्रतिपक्षी ने भी उक्तानुसार रास्ता देने हेतु अपनी सहमति जाहिर की है एवं उक्त रास्ता दिये जाने में अप्रार्थी कोई उज्र आपत्ति नही की है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में काश्त/कृषि कार्यो हेतु आने जाने हेतु आने जाने के लिए आम रास्ते ख0न0 3531/1206 रकबा 0.1200 गै.मु. रास्ता से होते हुए राजकीय भूमि ख0न0 3532/3530 रकबा 0.1624 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में से होकर मुताबिक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 3509/1224 रकबा 0.1770 वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना तक रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्याकंन करे। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त प्रतिपक्षी की भूमि का रकबा कम किया जाकर नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
(कपिल शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner